File No.71-2099/790/2021- -2-

81/2021/I/84423/2021

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, **उ0प्र0**,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई**, 2021

विषय:- **वित्तीय वर्ष** 2021-22 **में के0जी0एम0यू0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों**, **लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1327/**वित्त एवं लेखा**/2021, **दिनांक** 08-07-2021 **के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2021-22 **में के0जी0एम0यू0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों**, **लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए राजस्व पक्ष में** 20-**सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0** 400.00 **लाख के सापेक्ष रू0** 100.00/- **(रूपया सौ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं**:-

1. **वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या** 3/2021/**बी0**-1-175/**दस**-2021-231/2020, **दिनांक** 22.03.2021 **में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एंव अन्य सुगंत नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।**
2. **इस योजना से आच्छादित मरीजों को सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कराया जायेगा एवं सम्भव न होने पर इस मद का उपयोग किया जायेगा।**
3. **प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तवित आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा एवं धनराशि के उपयोग की स्थिति से यथासमय अवगत कराया जायगा।**
4. **धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट ऑफिस/पी0एल0ए0 में नही रखा जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आवश्यकतानुसार एवं व्यय, नियमानुसार किया जायेगा।**
5. **धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**
6. **स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार जारी किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0367-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 में बी0पी0एल0/ अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2021/बी0-1175/दस-2021-231/2020 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in